

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर, सरगुजा (छ.ग.)



क्रमांक 2110/न.पा.नि./सा.प्र./2011

अम्बिकापुर, दिनांक 21/10/2011


This file was edited using the trial version of Nitro Pro 7
Buy now at www.nitropdf.com to remove this message

आदेश

अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक 8254/6233/2011/18/रायपुर, दिनांक 12 अक्टूबर 2011 द्वारा उप-अभियंताओं की सीधी भर्ती की कार्यवाही की अनुमति प्रदान की गई है। सीधी भर्ती हेतु छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, (अधिकारी/कर्मचारी) भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2007 के नियम 8(3) अन्तर्गत चयन प्रक्रिया का निर्धारण पूर्व में उप-अभियंता के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश क्रमांक एफ-4-441/2004/18/रायपुर, दिनांक 17.08.2007 में वर्णित प्रावधान अंतर्गत निर्धारित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के लिए अनुपात में अंकों के विभाजन/अनुभव/साक्षात्कार हेतु निम्नानुसार किया जाता है :-

प्रतिशत	डिप्लोमा	डिप्लोमा के बाद डिग्री	डिग्री	अनुभव	साक्षात्कार
अंक	60	15	75	10	15
50% से कम	20	5	25	1 वर्ष 3 अंक 2 वर्ष 6 अंक 3 वर्ष या अधिक 10 अंक	15 अंक
50% से अधिक 65% से कम	35	8	40		
65% से अधिक 85% से कम	50	12	65		
85% से अधिक	60	15	75		

उपरोक्तानुसार उप अभियंता (सिविल एवं विद्युत) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अनुभव के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन समिति चयन प्रक्रिया पूर्ण करेगी।


21/10/2011
आयुक्त
नगर पालिक निगम
अम्बिकापुर